न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 816 / 2022

अनवान : –

1. रामसुखी पत्नी भागमल जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

–

वादीया

बनाम्

1. कुकु पुत्र लीला देवी जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्ण गोपाल पुत्र उदाराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. कालु पुत्र ओम प्रकाश जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. ख्याली पुत्र पूर्णराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. गुडडी बड़ी पुत्री उदाराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. धनाराम पुत्र उदाराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. प्रभुदयाल पुत्र मालचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
8. परमानन्द पुत्र उदाराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
9. पुरूषोतम पुत्र पूर्णराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
10. बृजलाल पुत्र उदाराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
11. बसन्ती देवी पत्नी धर्मचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
12. भागीरथ पुत्र लुणाराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
13. मेघराज पुत्र मालचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. मन्जु पत्नी ओम प्रकाश जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
15. राजेश कुमार पुत्र धर्मचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
16. रानी पुत्री लीलादेवी जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
17. विनोद कुमार पुत्र दयाराम जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. विनोद कुमार पुत्र धर्मचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
19. विमला पुत्री आत्माराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
20. शिव कुमार पुत्र मालचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
21. सावित्री पत्नी परमानन्द जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
22. हनुमान पुत्र पूर्णराम जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादीगण
श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 02/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 631 / 618 की कुल 66.9240 हैक्ट भूमि वादीया व प्रतिवादीगण के ना[illegible] खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:24:58 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि में [illegible] 116, 135, 136, 641, 890, 616 / 1106 क कुल 66.9247 हैक्ट भूमि दर्ज थी जो की आज तक वादीया व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ [illegible] है। रोही मौजा मन्द[illegible]तहसील नोहर के खसरा न0 115 की 69–07 बीघा, 135 की 26–15 बीघा, 136 की 16–07 बीघा, 641 की 60–10 बीघा, 890 की 84–08 बीघा, 616 / 1106 की 7.05 बीघा कुल 364–12

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बिघा भूमि में से 117 बीघा 9–1/3 बिघा भूमि जरिये बैयनामा 58 बीघा 18–1/3 हिस्सा भूमि टिना देवी पत्नी मुरली मनोहर, शोभा देवी पत्नी पवन कुमार, निर्मला देवी पत्नी महेश महीपाल, सविता पत्नी सुशील कुमार जाति महाजन निवासी भादरा व विमला पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला से दिनांक 29.05.2012 को खरीद की थी तथा खरीद के समय से ही वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

विवादित भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी बनाते समय राजस्व विभाग द्वारा अपवादित खाता का नोट लगा कर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय नोहर के जैरकार का नोट लगा दिया जिससे वादीया के खातेदारी हकों का हनन होता है तथा वादीया मुताबिक बैयनामा दिनांक 29.05.2012 को खरीदशुदा है जो कि वादीया मुताबिक बैयनामा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारिणी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 23 को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 631/618 की कुल 66.9247 हैक्ट भूमि में से 58 बीघा 18–1/3 हिस्सा भूमि मुताबिक बैयनामा अपवादित का नोट हटाकर वादीया के नाम दर्ज कर दे तो प्रतिवादी संख्या 23 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इंकार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 631/618 की कुल 66.9247 हैक्ट भूमि में से 58 बीघा 18–1/3 हिस्सा भूमि मुताबिक बैयनामा अपवादित का नोट हटाकर राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज की जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 22 की तरफ से श्री महेशचन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादीगण संख्या 7, 11, 13, 15, 18, 20 की तरफ से अधिवक्ता श्री अधिवक्ता श्री हवासिंह पुनिया उपस्थित आये शेष प्रतिवादीगण को रजिस्ट्रर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 2, 4, 7, 8, 9, 12,13,19,20,21,22 व धनाराम के वारिसान ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया की उपवादित खाता को दुरूस्त करने हेतु अनुपातिक तौर से भूमि कम की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

प्रकरण में तहसीलदार नोहर से वाद में अंकित तथ्यों की जांच रिपोर्ट चाही गई जांच रिपोर्ट अपने पत्रांक 288 दिनांक 02.04.2024 द्वारा प्रस्तुत की गई जो शमिल मिसल की गई

इसप्रकार भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा तेयार मिसल बन्दोबस्त 2029 से 2038 के अनुसार काश्तकारों के हिस्से 273 बीधा 10 बिश्वा व खसरो का कुल रकबा 264 बीधा 12 बिश्वा के अन्तर को सभी काश्तकारों में अनुपातिक तौर से कम किया जाकर ही जमाबन्दी संशोधन की जा सकती है जो सलग्न रिपोर्ट है तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट शामिल की गई।

प्रतिवादी संख्या 22 के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उसके पक्षकार द्वारा शपथ पत्र पेश किया जा चुका है पक्षकार के अनुसार ही वाद में कार्यवाही फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 11, 15, 18 के अधिवक्ता की और से जबाब पेश किया शेष का जबाब पेश नही किया गया निवेदन कि[illegible] उन्होने सहमति का शपथ पत्र पेश किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 11, 15, 18 [illegible] सबसे पहले भूमि खरीद की गई थी जब भूमि मौका व रिकार्ड में भूमि [illegible] लिये हमारी भूमि अनुपातिक कम नही की जावे जबाब शामिल मिसल किया गया शा[illegible] मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:24:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में आपसी सहमति एव एकपक्षिय कार्यवाही होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही होने पर साक्ष्य लिये गये वादीया ने साक्ष्य वादीया में अपना शपथ पत्र

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेश किया प्रतिवादीगण ने जाहिर किया की वह साक्ष्य पेश नही करना चाहते है साक्ष्य बन्द किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

वकील वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादीया वाद भूमि की खरीदार खातेदार काश्तकार है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भूमि हिस्से /मौके से अधिक दर्ज होने के कारण राजस्व रिकार्ड में उपवादित खाते के तौर पर दर्ज है जिसका अंकन जमाबन्दी में किया हुआ है तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

प्रतिवादीगण 22 के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उसके पक्षकार के द्वारा सहमति के रूप में शपथ पत्र दिया जा चुका है तथा तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि दर्ज की जाती है तो ऐतराज नही है।

प्रतिवादी संख्या 11 ,15 ,18 के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उनके द्वारा भूमि जरिये बैयनामा खरिद की गई है इसलिये उसकी भूमि पुरी रखी जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 के खाता संख्या 71/373 कुल रकबा 379 बीधा 10 बिश्वा में चुनी वल्द रामकरण 1/3 हिस्सा , उदाराम पुत्र रामकरण 1/3 हिस्सा रामचन्द पुत्र अरजन 1/3 हिस्सा जाति भाट साकिन गोरखाना दर्ज है खातें में पुराने खसरे 186/50 बीधा 187/68.18 बीधा 228/147 बीधा 9 बिश्वा , 333/87 बीधा 7 बिश्वा 226/13 बीधा 01 बिश्वा 227/12 बीधा , कुल 378 बीधा 10 बिश्वा दर्ज है सम्वत 2029 से 2038) विभागीय निर्देशानुसार मिलान क्षेत्रफल में मिन खसरे 186 ,187 ,188 ,201 ,228 ,229 ,333, 332, से नये वर्तमान खसरे 115 ,135 ,136 ,641 ,890 ,616/1106 कुल 264 बीधा 12 बिश्वा का अंकन हुआ तथा भू0प्रबनघ विभाग द्वारा तैयार मिसल बन्दोंबस्त में खाता संख्या 302 में मु0 हीरा बेवा उदाराम , आत्माराम वृजलाल , कृष्णगोपाल , परमानन्द पि0 उदाराम बहिब 189 .05 बीधा , हुन्ता वल्द रामचन्द 39.05 बीधा पुरन बेगा किसना पि0 रामचन्द्र बहिब 37 बीधा , मालचन्द वल्द उमाराम 0.08 दर्ज है इसप्रकार खाते के काश्तकारो का कुल हिस्से 273 बीधा 10 बिश्वा तथा खसरा किता 6 का कुल रकबा 264.10 बीधा दर्ज था इसके बाद हकदारान के खाता संख्या 407 जमाबन्दी सम्वत 2047 से खाता संख्या 427/407 हकरदारन सम्वत 2063 में से खाता संख्या 517/407 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 618/517 में भी काश्तकारों का हिस्सा 273 विधा 10 बिश्वा (69.1955हैक) व खाते का कुल रकबा 264.12 बीधा (66.9240हवै) दर्ज हुआ जो आज तक चला आ रहा है इस दौरान विभिन्न इन्तकाल संख्याओ बेचान पर्चा डिक्री विरासत , दानपत्र , आदि से नवीन खातेदार का अंकन होता रहा है

मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 से 38 में खाते का कुल रकबा 264.12 बीधा हकदारन 2063 से चला आ रहा है इसके बाद से जमाबन्दी सम्वत 2072–75 तक 264. 12 बीधा (66.9240हैक) दर्ज चला आ रहा है जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 , मिलान क्षेत्रफल , मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 से 2038 , हकदारान , जमबान्दी सम्वत 2047 ,263 ,2702–75 , 2076 से पूर्णत्या साबित है।

प्रस्तुत रिकार्ड एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है कि जमाबन्दी में हिस्से से अधिक रकबा [illegible] 2012 से ही अधिक चला आ रहा है जो लगातार जमाबन्दी में बदस्तूर [illegible] रहा है जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व कुल भूमि के हिस्से व रकबा [illegible] के तौर से कम किया जाकर ही किया जा सकता है अन्य कोई व ऑपशन नही है जिसके लिये काश्तकार सहमत भी है केवल प्रतिवादी संख्या 11 ,15 ,18 के द्वारा अपना रकबा पूरा चाहा गया है जो केवल धर्मचन्द के वारिसान है जिसका रकबा मात्र 2 बीधा है जिसका पूरा करने से अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:24:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्तकारो के हितों को नुकसान पहुचाना उचित नही है अतः तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट अनुसार अनुपातिक तौर से कम किया जाकर जमाबन्दी संशोधन किया जाना न्यायोचित है

अतः वाद वाद तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 631/618 की कुल 66.9240हैक्ट भूमि में दर्ज काश्तकारों की भूमि /हिस्से को कलमजन किया जाकर वादीया संख्या 1 रामसुखी 14.3999हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 1 कुकु 1.8376हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 2 कृष्ण गोपाल 5.5129हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 3 कालु 0.9188हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 4 ख्याली 1.0059हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 5 गुडडी 5.5129हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 6 धनाराम 5.5129हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 7 प्रभुदयाल 0.4894हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 8 परमानन्द 5.5129हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 9 पुरूषोतम 1.0059हैक्ट प्रतिवादी संख्या 10 बृजलाल 5.5129हैक्ट प्रतिवादी संख्या 11 बसन्ती 0.1687हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 12 भागीरथ 1.2235हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 13 मेधराज 0.4894हैक्ट प्रतिवादी संख्या 14 मन्जु 0.9188हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 15 राजेश कुमार 0.1687हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 16 रानी 1.8376हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 17 विनोद कुमार पुत्र दयाराम 5.5129हैक्ट प्रतिवादी संख्या 18 विनोद कुमार पुत्र धर्मचन्द 0.1687हैक्ट प्रतिवादी संख्या 19 विमला 3.8592हैक्ट प्रतिवादी संख्या 20 शिवकुमार 0.4894हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 21 सावित्री 3.8592हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 22 हनुमान 1.0059 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जाकर अपवादित होने का अंकन हटाया जाता है भूमि यदि रहन हो तो बैक ऋण यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:24:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

अनवान : –

1. रामसुखी पत्नी भागमल जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1 कुकु पुत्र लीला देवी जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. कृष्ण गोपाल पुत्र उदाराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. कालु पुत्र ओम प्रकाश जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. ख्याली पुत्र पूर्णराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. गुडडी बड़ी पुत्री उदाराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. धनाराम पुत्र उदाराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. प्रभुदयाल पुत्र मालचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
8. परमानन्द पुत्र उदाराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
9. पुरूषोतम पुत्र पूर्णराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
10. बृजलाल पुत्र उदाराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
11. बसन्ती देवी पत्नी धर्मचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
12. भागीरथ पुत्र लुणाराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
13. मेघराज पुत्र मालचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. मन्जु पत्नी ओम प्रकाश जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
15. राजेश कुमार पुत्र धर्मचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
16. रानी पुत्री लीलादेवी जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
17. विनोद कुमार पुत्र दयाराम जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. विनोद कुमार पुत्र धर्मचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
19. विमला पुत्री आत्माराम जाति भाट निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
20. शिव कुमार पुत्र मालचन्द जाति ब्राहमण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
21. सावित्री पत्नी परमानन्द जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
22. हनुमान पुत्र पूर्णराम जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 816 सन 2022 निर्णय दिनांक – 02/05/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र शर्मा , श्री हवासिह पुनिया व राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वादीया का वाद साक्ष्य सबूतों तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 631/[illegible] कुल 66.9240हैक भूमि में दर्ज काश्तकारों की भूमि /हिस्से को [illegible] 1 रामसुखी 14.3999हैक , प्रतिवादी संख्या 1 कुकु 1.8376हैक , प्रतिवादी संख्या 2 कृष्ण गोपाल 5.5129हैक , प्रतिवादी संख्या 3 कालु 0.9188हैक , प्रतिवादी संख्या 4 ख्याली 1.0059हैक , प्रतिवादी संख्या 5 गुडडी 5.5129हैक , प्रतिवादी संख्या 6 धनाराम 5.5129हैक, प्रतिवादी संख्या 7 प्रभुदयाल 0.4894हैक , ———————————— लगातार–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:24:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

————प्रतिवादी संख्या 8 परमानन्द 5.5129हैक्, प्रतिवादी संख्या 9 पुरूषोतम 1.0059हैक् प्रतिवादी संख्या 10 बृजलाल 5.5129हैक् प्रतिवादी संख्या 11 बसन्ती 0.1687हैक्, प्रतिवादी संख्या 12 भागीरथ 1.2235हैक्, प्रतिवादी संख्या 13 मेधराज 0.4894हैक् प्रतिवादी संख्या 14 मन्जु 0.9188हैक्, प्रतिवादी संख्या 15 राजेश कुमार 0.1687हैक्, प्रतिवादी संख्या 16 रानी 1.8376हैक्, प्रतिवादी संख्या 17 विनोद कुमार पुत्र दयाराम 5.5129हैक् प्रतिवादी संख्या 18 विनोद कुमार पुत्र धर्मचन्द 0.1687हैक् प्रतिवादी संख्या 19 विमला 3.8592हैक् प्रतिवादी संख्या 20 शिवकुमार 0.4894हैक्, प्रतिवादी संख्या 21 सावित्री 3.8592हैक्, प्रतिवादी संख्या 22 हनुमान 1.0059 हैक् भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जाकर अपवादित होने का अंकन हटाया जाता है भूमि यदि रहन हो तो बैक ऋण यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/05/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:24:58 IST
Reason: SelfAttested